



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञापित

दिनांक : 26.04.2021

यूजेवीएन लि0 हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पारित टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु

- यूजेवीएन लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) / टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष दिनांक 28.11.2020 को याचिका प्रस्तुत की गई।
- उपरोक्त याचिका के माध्यम से यूजेवीएन लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के संप्रेशित लेखों के आधार पर सहीकरण (Truing-up) हेतु 09 पुराने वृहद विद्युत गृहों (छिबरो, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल, चिला, रामगंगा, खटीमा, मनेरी भाली-I) तथा मनेरी भाली-II प्रस्तुत की गयी।
- इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के संवीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गये:-
 - वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पुराने 09 बड़े विद्युत गृहों एवं मनेरी भाली-II का सहीकरण (truing up)।
 - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुराने 09 बड़े विद्युत गृहों एवं मनेरी भाली-II के वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) / टैरिफ का निर्धारण।
- यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा अपने पुराने 09 बड़े विद्युत गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के सहीकरण के लिए कुल रू0 3.94 करोड़ का अन्तर (Gap) दिखाया गया था, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा रू0 49.31 करोड़ का अधिशेष (Surplus) (मय रख-रखाव लागत सहित), जो कि यूपीसीएल (UPCL) तथा एचपीएसईबी (HPSEB) से उनके सम्बन्धित अंश के आधार पर वापस किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।
- यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा मनेरी भाली-2 हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के सहीकरण के लिए कुल रू0 86.07 करोड़ का कुल अन्तर (Gap) दिखाया गया था जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा कुल रू0 16.94 करोड़ का अन्तर (Gap) (मय रख-रखाव लागत सहित) यूपीसीएल (UPCL) से वसूल किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।
- उपरोक्तानुसार, सहीकरण के उपरान्त, यूपीसीएल (UPCL) के लिए धनराशि रू0 27.62 करोड़ का अधिशेष (Surplus) (मय रख-रखाव लागत सहित) तथा एचपीएसईबी (HPSEB) के लिए रू0 4.76 करोड़ का अधिशेष (Surplus) पाया गया। यह धनराशि यूपीसीएल (UPCL) तथा एचपीएसईबी (HPSEB) से 12 समान मासिक किश्तों के आधार पर माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक वापस किये जाने का अनुमोदन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु यूजेवीएन लि0 द्वारा क्लेम किये गये वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) एवं आयोग द्वारा गत वर्ष की तुलना में मय वृद्धि सहित अनुमोदित किये गये विवरण का उल्लेख निम्न सारिणी में दर्शित है:-

तालिका: वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) (रू0 करोड़ में)

उत्पादन गृह	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	
	आदेश दिनांक 18.04.2020 में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
09 बड़े विद्युत गृहों	449.72	606.61	469.56
गत वर्षों की तुलना में वार्षिक स्थिर प्रभार (%) में वृद्धि		35%	4%
मनेरी भाली-II	215.41	293.17	209.55
गत वर्षों की तुलना में वार्षिक स्थिर प्रभार (%) में वृद्धि		36%	-3%
कुल	665.13	899.78	679.11
गत वर्षों की तुलना में कुल वार्षिक स्थिर प्रभार (%) में वृद्धि		35%	2%
